(5)

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

11-06-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–695/2012 में आवेदक **श्री विनोद गिरि,** पिता–श्री ब्रज किशोर गिरि, सा0–साकेत, रोड नं0–1, पटेलनगर, पटना–23, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

सुनवाई की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–11.06.2013 को आवेदक अनुपस्थित। आवेदक के आवेदन एवं पुलिस प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। आवेदक के आवेदन में अंकित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं और Advent Brand House, S-206, Grand Mall, M.G.Road, Gurgaon में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–819/गो0, दिनांक–27.05.2013 द्वारा आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं और Advent Brand House, S-206, Grand Mall, M.G.Road, Gurgaon में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक की वार्षिक आय दस लाख रूपये हैं। उनके द्वारा आवेदक की जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री विनोद गिरि, पिता–श्री ब्रज किशोर गिरि, सा0–साकेत, रोड नं0–1, पटेलनगर, थाना– शास्त्रीनगर, जिला–पटना को उनके द्वारा

अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री गिरि को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 11/6/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

(हस्ताक्षर) 11/6/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।